निर्णय

25/11/22

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि मौजा जसोताणियों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 270/147 रकबा 13.6460 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी की आई हुई है। अप्रार्थी का खेत प्रार्थी के दक्षिणी–पश्चिम सेढे पर आया हुआ है, जिस पर पुरानी माठे बनी हुई है। अप्रार्थी, प्रार्थी की भूमि में अवैध तरीके से हड़पेन पर अतिक्रमण करने पर उतारू है। जिसके कारण प्रार्थी ने अपने खेत की नेखमबन्दी करने हेतु माननीय न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमे दिनांक 17.03.2017 को आदेश पारित हुआ जिस पर पटवारी हल्का तथा भू.अ. निरीक्षक द्वार दिनांक 24.02.2018 को पैमाईश करने हेतु उपस्थित होकर पक्की नेखमबन्दी करते हुए मौका फर्द तैयार की जिसमे अप्रार्थी ने नेखमबन्दी करने नही दी गई तथा न ही राजस्व अधिकारियों को पैमाईश करने दी। लिहाजा वाद के निर्णय तक अप्रार्थी मौजा जसोताणियों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 270/147 रकबा 13.6460 हैक्टयर भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने आवेदन पत्र तथ्यों को तौड़ मरोड़ कर पेश किय है तथा अप्रार्थी ने अन्य काश्तकारों से आज से 20 वर्ष पूर्व खसरा संख्या 248/148, 251/150 कुल रकबा 66.17 बीघा खरीद की थी जिसने सक्षम न्यायालय से दिनांक 15.07.2015 को प्रार्थी जेठाराम के खिलाफ अस्थाई निषेधज्ञा जारी की गई जिसकी पेशी दिनांक 17.12.2022 निर्धारित है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नही कर दिनांक 11.11.2022 को अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के खेत में कब्जा किया जिसकी शिकायत दिनांक

सहायक कलक्टर

नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 54/2022 अनवान जेठाराम बनाम विरधाराम	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

श्रीमान् को दिनांक 14.11.2022 को अवैध रूप से कब्जा करने की रिपोर्ट दी। लिहाजा खसरा संख्या 270/147, 248/148 व 151/150 में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया तथा प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज तथा मौका रिपोर्टो का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन साबित नही होने से तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है तथा न ही अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। प्रकरण में अप्रार्थी के खेत की सीमा तय नही है न ही नेखमबन्दी हुई है। अतः प्रार्थी का आवेदन दस्तावेज से साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बाड़मेर